

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी


मुकाम

अजमेर

बोदू व अन्य

बनाम सुलतान व अन्य

स्म मुकदमा 75 मुकदमा नम्बर 6/2008.....सन .....

तारीख पेशी	हुकम या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11.2.2020	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकिल रेस्पोंडेन्ट ने निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय आदेशिका दिनांक, 27.7.2017, 13.9.18, 15.7.19., 7.10.19, 5.12.19, को रेस्पोंडेन्ट 1 के वारिसान की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं किए गए हैं। तदपश्चात 28.1.2020 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट/अपीलांट अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किए जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अपीलांट की अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 27.7.2017, 13.9.18, 15.7.19., 7.10.19, 5.12.19, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 28.1.2020 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रुचि प्रकृत होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्राधानो के तहत अपीलांट अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। अतः अपीलांट की अपील न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत निरस्त कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी अजमेर</p>	

